

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 134/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1. मधुदेवी चौपड़ा पत्नि कमलेश कुमार चौपड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
2. सिद्धार्थ चौपड़ा पुत्र कमलेश कुमार चौपड़ा		
3. कमलेश कुमार चौपड़ा पुत्र नेमकुमार चौपड़ा		
4. महेन्द्र कुमार चौपड़ा पुत्र नेमकुमार चौपड़ा जाति ओसवाल निवासी दांती भवन सदर बाजार, बालोतरा		
5. राज कुमार चौपड़ा पुत्र सुमेरमल चौपड़ा जाति ओसवाल निवासी पटवारियों का बास बालोतरा		
6. अभिषेक चौपड़ा पुत्र महेन्द्र कुमार चौपड़ा जाति ओसवाल निवासी सदर बाजार, बालोतरा		
7. चम्पालाल पुत्र मुगाराम जाति प्रजापत निवासी माजीवाला तहसील पचपदरा		
8. महेश कुमार पुत्र माणकमल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा		



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 27.09.22

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि ग्राम बालोतरा प्रथम में भूमि खसरा संख्या 597 रकबा 01.04 बीघा अवस्थित रही हैं, बालोतरा के दो सेटलमेंट ऑपरेशन प्रभाव में आये हैं, दोनों भू-प्रबन्धों की जरीब नाप में अंतर रहा है, तत्समय में भूमि खसरा संख्या 597 रकबा 01.04 बीघा भूमि श्री सवाराम पुत्र आसाराम जाति माली के खातेदारी की थी, सवाराम के फौत होने पर उक्त भूमि जरिये फौतगी म्यूटेशन पूनमचन्द के नाम दर्ज हुई, पूनमचन्द ने सप्रतिफल उक्त भूमि महेन्द्र कुमार पुत्र जसराज, रमेश कुमार पुत्र छगनलाल व भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह, चम्पालाल पुत्र मगाराम को दिनांक 10.06.1999 को बेचान की, चूंकि उक्त भूमि पर कृषि से भिन्न अकृषि कार्य हो चुका था, इस कारण उक्त भूमि नगर परिषद के खाते में आबादी विस्तार हेतु दर्ज हुई, राजस्व रेकॉर्ड में भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज थी। उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरियें प्रार्थीगण द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थीगण की भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में गलत नक्शा तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रथम सेटलमेंट के अनुसार लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया।

विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबंध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालो...

03. विवादित भूमि की मौका व रिकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थीगण की ओर से प्रमाणित प्रति जमाबंदी खतौनी संख्या खाता संख्या नया 292 पुराना 316 मौजा बालोतरा प्रथम संवत् 2074-2077 मय नक्शा, नगर परिषद का कार्यालय आदेश, सीमाज्ञान पत्र दिनांक 23.09.2020, सेटलाईट नक्शा, खसरा बंदोबस्त खसरा संख्या 246 मौजा बालोतरा प्रथम, फोटो प्रति सिविल रिट पिटीशन नं. 544/2020, इकरारनामा बेचान महेन्द्रकुमार, रमेश कुमार, भगवतसिंह, चम्पालाल फोटो प्रति, जमाबंदी खाता संख्या 583 नया पुराना 543 फोटो प्रति, नगरपालिका बालोतरा द्वारा शाश्वत लीज क्रमांक 3655 फोटो प्रति, बेचान पत्र श्री भगवतसिंह द्वारा फोटो प्रति, नगर पालिका बालोतरा द्वारा शाश्वत लीज क्रमांक 3653 फोटो प्रति, नगर पालिका बालोतरा द्वारा शाश्वत लीज क्रमांक 3654 फोटो प्रति, बेचाननामा श्री महेन्द्र कुमार द्वारा फोटो प्रति, बेचाननामा बहक श्रीमति मधु देवी चौपड़ा फोटो प्रति, बेचाननामा बहक श्री सिद्धार्थ चौपड़ा फोटो प्रति, बेचाननामा बहक श्री कमलेश कुमार चौपड़ा फोटो प्रति, बेचाननामा बहक श्री महेन्द्र कुमार चौपड़ा फोटो प्रति एवं बेचाननामा बहक श्री राजेश कुमार चौपड़ा फोटो प्रति पेश की गई।

05. उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहाराते हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे कि सरहद मौजा बालोतरा प्रथम में भूमि खसरा संख्या 597 रकबा 01.04 बीघा अवस्थित रही हैं, बालोतरा के दो सेटलमेंट ऑपरेशन प्रभाव में आये हैं, दोनों भू-प्रबन्धों की जरीब नाप में अंतर रहा है, तत्समय में भूमि खसरा संख्या 597 रकबा 01.04 बीघा भूमि सवाराम पुत्र आसाराम जाति माली के खातेदारी की थी, सवाराम के फौत होने पर उक्त भूमि जरिये फौतगी म्यूटेशन पूनमचन्द के नाम दर्ज हुई, पूनमचन्द ने सप्रतिफल उक्त भूमि महेन्द्र कुमार पुत्र जसराज, रमेश कुमार पुत्र छगनलाल व भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह, चम्पालाल पुत्र मगाराम को दिनांक 10.06.1999 को बेचान की, चूंकि उक्त भूमि पर कृषि से निर्यात अकृषि कार्य हो चुका था, इस कारण उक्त भूमि नगर परिषद के खाते में आबादी विस्तार हेतु दर्ज हुई, राजस्व रिकॉर्ड में भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज थी। मौके पर टाइटल



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

धारक से चैनल दस्तावेज के रूप में प्रार्थीगण व उनके हकपूर्वाधिकारी काबिज थे, इस कारण प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी द्वारा नगर परिषद में पट्टा प्राप्ति की कार्यवाही की, जिस पर नगर परिषद बालोतरा द्वारा दिनांक 28.04.2011 को भगवतसिंह, चम्पालाल, महेन्द्र कुमार के नाम पट्टे जारी हुए, प्रार्थी चम्पालाल के पास टाईटलइ स्वामित्व का पंजीकृत पट्टा है, तथा अन्य प्रार्थीगण के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख पट्टाधारक भगवतसिंह व महेन्द्र कुमार के जरिये पंजीकृत विक्रय विलेखों के भूमि खरीद के दस्तावेज हैं, जो दस्तावेजात के जरिये मौके पर काबिज हुए, मौके पर प्रार्थीगण के मालिकाना, स्वामित्व टाईटल के नाप, पडौस की हद की भूमि की सुरक्षार्थ चारदीवारी बनी हुई है, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि उक्त चारदीवारी किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि या प्रतिबंधित श्रेणी की अन्य भूमि की परिधि में नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि के बदिशा दक्षिण में डामरीकृत सड़क अवस्थित हैं तथा उससे आगे तटबंदी/हदबंदी की दीवार बनी हुई है, उसके आगे/बाद लूनी नदी की भूमि आयी हुई है, जहां पर लूनी नदी का बहाव क्षेत्र हैं प्रार्थीगण की भूमि की हद में कभी भी लूनी नदी का बहाव क्षेत्र नहीं रहा और न हैं। प्रार्थीगण बतौर मालिक टाईटल धारक की हैसियत से काबिज हैं, कभी भी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज नहीं रहे और न हैं, किन्तु बेवजह प्रार्थीगण को परेशान की गर्ज से गलत तौर से उन्हें लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में होना बताया गया, जबकि प्रार्थीगण मूल रूप से खसरा संख्या 597, रेकॉर्ड अनुसार पुराने खसरा संख्या पर काबिज हैं, प्रार्थीगण ने उक्त खसरा संख्या 597 के पडौस में अवस्थित स्थाई मुंतकिल बिन्दु से नाप करने का निवेदन किया, चूंकि उक्त भूमि रेकॉर्ड में नगर परिषद के खाते में दर्ज थी, इसलिए नगर परिषद के कार्यालय में नाप सीमा ज्ञान का आवेदन पेश किया, जो आवेदन स्वीकार किया जाकर सीमा ज्ञान हेतु भूमिधारक उप तहसीलदार जसोल को पत्र जारी किया, जिस पर भूमिधारक द्वारा सीमा ज्ञान कर खसरा संख्या 597 की भूमि की सीमाओं को ज्ञान करने की तहरीर पटवारी/भू-निरीक्षक बालोतरा को जारी की, जिसकी पालना में मौके पर खसरा संख्या

597 की सीमाओं को प्रार्थीगण को बताया, जिससे भी मौके पर प्रार्थीगण को कब्जा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि या लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं आ रहा है, जिससे भी स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण अतिक्रमी नहीं हैं, वर्तमान खसरा संख्या 597 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दरमियान अशुद्ध रूप से कर दी गई, जबकि सेटलमेंट विभाग को भूमि की किस्म या भूमि की आकृति या



प्राप्तिदात्री अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यदि मूल पुराने खसरा संख्या को आधार बना कर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड नक्शा की दुरस्ती की जाती है, तो प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि लूनी नदी के बहाव क्षेत्र से करीब 150 फीट से अधिक दूरी पर है, कि पुराने खसरा संख्या की भूमि का स्थाई बिन्दु से नाप कर नक्शा में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटि को दुरस्त करते हुए रेकॉर्ड दुरस्त किया जावे, ताकि बेवजह टाइटल धारक प्रार्थीगण को पेशानी नहीं हो, रेकॉर्ड में जो त्रुटि हुई है, वो ऐरर एपिरियन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड है, जिसकी दुरस्ती करना न्याय हित में आवश्यक है, लूनी नदी बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण होना बता कर ऐसे अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 544/2020 दायर हुई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौके पर लूनी नदी में अतिक्रमण को पूर्व में की गई नाप सीमा ज्ञान की रिपोर्ट को आधार बनाकर हटाने का निर्णय पारित किया, ऐसे निर्णय के प्रकरण में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे, इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त रिट याचिका में पक्षकार बनने के आवेदन प्रस्तुत किये, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर रिट याचिका में पक्षकार जोड़ा गया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकार जोड़ने के बाद प्रभावित पक्षकारान के जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुणों पर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण के द्वारा उठाये गये बिन्दु रेकॉर्ड दुरस्ती से संबंधित होने से दिनांक 11.04.2022 को आदेशित किया कि, रेकॉर्ड में दुरस्ती का प्रकरण है, जिसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को है, जिसकी पालना में वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत गया, सेटलमेंट विभाग को राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी, नक्शा की पूर्व प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नहीं है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त निम्न है:—Idan vs. State of Rajasthan & anr. RRT 2001(1), 2007(1) RRT 27 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, 2003(2) RRT 1027 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER जिसमें प्रतिपादित किया है कि



सेटलमेंट-सेटलमेंट ऑप्रेशन-भूमि की किस्म, कृषकों के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों परिवर्तित करने का सेटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है। यहां यह स्पष्ट कर देना होगा कि भू-प्रबन्ध विभाग को सेटलमेंट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्टियों को दोहराने का ही अधिकार है न कि उन्हें परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की

डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो उक्त आधार पर कर सकेगा अन्यथा नहीं। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुद काश्त की भूमि को सिवाय चक किये जाने का अधिकार है और न ही गोचर। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वो उक्त आधार पर कर सकेगा अन्यथा नहीं। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुदकाश्त की भूमि को सिवाय चक दर्ज किये जाने का अधिकार है और न ही गोचर। यह स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान प्रकरण में पूर्व प्रविष्टियों को बदलने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय का आदेश दौरान सेटलमेंट किसी न्यायालय से प्राप्त किया हो,ऐसा कोई आदेश भूमि धारक द्वारा न तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किया है और न न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के हक हकूक पट्टाशुदा कब्जाशुदा प्रश्नगत भूमि बालोतरा के सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की राजस्व रेकर्ड में अवस्थित आबादी क्षेत्र के नया खसरा नम्बर 597 का प्रथम सेटलमेंट के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करने का आदेश फरमया जावें।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस थी,कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था,जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया था,कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार

आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में किया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रेकर्ड नक्शा दुरुस्ती करवाने के




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था,कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लकटा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है,जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था,पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 312 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात,विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मे आबादी भूमि होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थीगण की स्वामित्व पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई, जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थीगण की विवादित भूमि को आबादी खसरा संख्या 597 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व लट्टा नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहे हैं। यह तो तय है, कि गत सेन्टलमेंट के अनुसार उक्त खसरा पुराने खसरा संख्या 312 का भाग होना बताया गया है। विवादित भूमि खसरा संख्या 597 आबादी भूमि में अवस्थित थी और द्वितीय सेन्टलमेंट के दौरान प्रार्थीगण की विवादित भूमि आबादी में होने के उपरांत भी तत्कालीन सेन्टलमेंट अधिकारियों द्वारा गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितीय सेन्टलमेंट अधिकारियों को गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही रेकॉर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2001(1) R.R.T. 244 (HC) Indan V/s. State of Rajasthan & anr में प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट-सेटलमेंट आप्रेशन-भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां परिवर्तित करने का सेटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है। 2003 (2)R.R.T.1027 (Board of Revenue) State of Rajasthan V/s. Khet Singh & Ors. में प्रतिपादित किया है कि बन्दोबस्त प्राधिकारियों को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विद्यमान प्रविष्टियों को बदलने की शक्तियां नहीं है व 2007(1)R.R.T. पृष्ठ 27 में प्रतिपादित किया है कि बंदोबस्त विभाग ने नामान्तकरण स्वीकृत किया, यद्यपि प्रविष्टियों को बदलने का विभाग को अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है, कि गत सेटलमेंट के रेकॉर्ड के अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार आबादी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितीय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकॉर्ड इन्द्राज दिया गया। जिसका तत्समय द्वितीय भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना



।वश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्या अथवा दस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का आदेश पारित हुआ हों। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है,जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूत्र में प्रार्थीगण की विवादित भूमि में हुए रेकर्ड में फेरबदल गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। क्योकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है,कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प /14/(28)(1)भूअ./रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 312 का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर आबादी भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितीय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन नदी के खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है,जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां तक विप्रार्थी द्वारा बिन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है,उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है,क्योकि प्रार्थीगण नें विवादित भूमि पर कब्जा/स्वामित्व की शाश्वत लीज प्रतियां पेश की है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।



आदेश आज दिनांक 27.09.22 को लिखा जाकर सरे इजलास (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा